रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/89 REGISTERED NO. D—(DN)—128/89

CENTRAL SECRETARIAT 11/2/90

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1989 (अग्रहायण 4, 1911)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1989 (AGRAHAYANA 4, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बंबई–400005, दिनांक 20 सितंबर, 1989

सं० 3 डब्लू० सी० ए० (5) 13/89–90 —इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 डब्ल्यू सी ए (1)/4/80–81 दिनांक 31/3/81, 4 डब्ल्यू सी०ए० (1)/4/82–83–दिनांक 31/3/83, 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/7/86–87 दिनांक 25/2/87, 3 डब्ल्यू०सी०ए० (4)/11/87–88 दिनांक 35/01/88, 3 डब्ल्यूसीए (4)/13/88/89 दिनांक 23–3–89 3 डब्ल्यू सी ए (4)/10/88–89 दिनांक 15–2–89 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम, पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	06063	श्री एच० रामास्वामी, ए सी ए "हरीकृपा" 5, संध्या सोसायटी, सुभनपुरा रोड, रेस कोर्स, बडोदा–390007 ।	02–08–89
2.	12852	श्री श्री गोपालकृष्णा परानन्दी, ए०सी०ए०, द्वारा–एन आर उपद्रस्ता 48 डा० व्ही० बी० गांधी मार्ग, फोर्ट, बंबई–400023,	01–9–1989

1	2	3	4
3.	17665	श्री किरनराय विनोदलाल बक्षी, ए० सी० ए०, पो० ऑ० बॉ० नं० 2471, मनामा, स्टेट आफ बहेरीन (ए० जी)	04-07-89
4.	18209	श्री एम० बालसुब्रमणीयम, एफसीए सी०-16, आराधना अपार्टमेंटस, गोकुलपेट, नागपुर-10	15-6-89
5.	30440	श्री उम्मेद सिंग तनवर, एफ सी ए 9/454, सरदार नगर नं० 1, सायन कोलीवाडा, बंबई-400022 ।	25-8-89
6.	33037	श्री विक्रम बाबुलाल शाह, एफ० सी० ए०, 180/बी, लमीग्टन रोड, बम्बई-400007 ।	28-8-89
7.	37256	श्री नवीनकुमार हरीराम कर्णेश, ए० सी० ए०, 97, नारायण धुरु स्ट्रीट, 2रा माला, बंबई-400003 ।	22-08-89
8.	37361	श्री जितेन्द्रकुमार ईश्वरलाल पान-वाला, ए० सी० ए०, 2 रा माला, "रंजन" मथियाफालीया शाहपुर, सूरत ।	08-08-89
9.	39357	श्री मनोहर कृष्णाजी प्रभूणे, ए० सी० ए, एट एण्ड पोस्ट पिंपरी, तालुका पुरंधर, जिला-पुना ।	31-08-89
10.	39995	श्री हरेन्द्रकुमार प्रभाशंकर पन्डया ए० सी० ए० एट पो-केडीयाद्रा, तालुका ईदर, जिला साबरकांठ-383440	1-8-89

दिनांक 5 अक्तूबर, 1989

सं० 3 डब्ल्यू सी०ए० (5)/24/89-90 —इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3 डब्ल्यू सी ए० (4)/10/88-89 दिनांक 15-2-1989, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	35484	श्री दिनेश नवीनचन्द्र मोदी ए० सी० ए०, 103, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, बैंक आफ महाराष्ट्र के ऊपर, प्रविएर स्कूल के पास, घोड दौड रोड, सूरत-395001 ।	7-9-89

एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 3 नवम्बर 1989

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/11/89-90—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-ई० सी० ए० (4)/6/88-89 दिनांक 24 फरवरी 1989, 3-सी० ए० (4)/1/85-86 दिनांक 31 मार्च 1986, 3-एस० सी० ए० (4)10/83-84 दिनांक 31 मार्च 1984, 3-एस० सी० ए० (4) 8/87-88 दिनांक 30 दिसंबर, 1987 और 3-डब्ल्यू सी० ए० (4)/10/88-89 दिनांक 15 फरवरी, 1989, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया गया है ।

क्र०सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	11238	श्री कृष्नन रामाचन्द्रन ए०सी०ए० फलैट 3, 1, रुकमनी रोड, कालाक्षेत्रा कालोनी, बेसंत नगर, मद्रास 600090 ।	18-9-89
2.	19945	श्री जोहनसन डैविड, ए०सी०ए० फलैट नं० 8, अलमूसा बिल्डिंग जाबेर, अल मुबारक स्ट्रीट, कुवैत	8-9-1989
3.	20036	श्री एन० आर० नारायनन नाम्बियार, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पी० ओ० बोक्स 380, मुम्बाबंगा, तंजानिया,	29-9-89
4.	20940	श्री एम० गोविनाथन, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, "धन्या" रामास्वामी नगर-2, नल्लमपलायाम रोड, गनापथी, कोयम्बटोर-6	16-10-89

1	2	3	4
5.	24961	श्री एस० मनोहरन, ए० सी० ए०, 110–बी, ब्लाक–6, विवेकानन्दा रोड, नेयवेली 607803 ।	29–9–89
6.	40086	श्री आई० आई० साजन, ए० सी० ए० 2026, हाल 3 स्टेज, बिहाईन्ड श्री रामा टैम्पल, बिप्पासन्द्रा, बंगलोर 560008 .	21–9–89

एम० सी० नर्रासम्हन,
सचिव

कलकत्ता–700071, दिनांक 2 नवम्बर 1989

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3–ई० सी० ए० (8)/8/89–90 —रेगूलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथि के रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1989–90 के लिए कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 30 सितम्बर 1989 तक नहीं किया था ।

क्र०सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	4292	श्री रामजस सिंहा ए० सी० ए०, बीजे–99, सैक्टर–2, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता– 700091	1–10–89
2.	10570	श्री लक्ष्मी नारायण रावत, एफ० सी० ए०, सिनियर वाईस प्रेसीडेंट, जया श्री इंसुलेटर्स, 15 ए, हेमन्ता बसु सरानी, कलकत्ता–700001	1–10–89
3.	15325	श्री सुरेश कुमार गोपालका, ए० सी० ए०, 290 ए, जोधपुर पार्क, कलकत्ता–700068	1–10–89
4.	50459	श्री स्वपन कुमार बंद्योपाध्याय, ए० सी० ए०, 151/3 ए, मस्जिद बारी स्ट्रीट, कलकत्ता–700006	1–10–89
5.	51047	श्री कुमार शंकर दास, एफ० सी० ए०, 82/1, एम० जी० रोड, कलकत्ता-700009	1–10–89
6.	51587	श्री दिलिप कुमार मढ़नसारिया, ए० सी० ए०, 346 ई, कालीघाट रोड, कलकत्ता–700026	1–10–89
7.	52249	श्री सुमित कुमार दत्त, ए० सी० ए०, 69 सी, पाम एवेन्यू कलकत्ता 700019.	1–10–89
8.	53108	श्री चन्द्रा प्रकाश शर्मा, एसीए, पी–9, रीजेंट एस्टेट, कलकत्ता–700092	1–10–89
9.	53200	श्री दिपांकर सिन्हा, ए०सी०ए० 17/1 एफ, डोवर टेरेस, कलकत्ता–700019	1–10–89
10.	53347	श्री उमेश वर्मा, ए०सी०ए०, 40, डोवस्वेल ड्राईव, स्कारबोरो ओन्टारियो, कनाडा एम० 1 बी० 1 जे० 2	1–10–89
11.	53487	श्री अशोक सक्सेना, ए०सी०ए०, केयर ओफ अशोक मार्ट, 196, ओल्ड चाईना बजार स्ट्रीट, कलकत्ता–700001	1–10–89
12.	53590	श्री नरेन्द्रा बिहानी, ए०सी०ए०, केयर आफ बैनस्कोट निग लि०, जी० पी० ओ० बोक्स 1729, लागोस नाईजिरीया	1–10–89
13.	53710	मिस अनुराधा गुप्ता, ए०सी०ए०, 14 बी, डोवर लेन, कलकत्ता 700029	1–10–89
14.	53872	श्री विवेक मेहता ए०सी०ए०, 24 ए, सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-700023.	1–10–89
15.	53948	श्री सज्जन कुमार अग्रवाल ए० सी० ए०, 2 । आशुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700020	1–10–89
16.	53952	श्री प्रोसनजीत कुमार डे ए० सी० ए०, बी एच-175, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता–700091 ।	1–10–89
17.	53955	श्री जसबिन्दर सिंह, ए०सी०ए०, 10ई डोवर टैरेस, कलकत्ता–700019. ।	1–10–89
18.	54019	श्री मधु सूदन नपुरिया एसीए 24/25, मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड, 4 फ्लोर, हावड़ा–711101 ।	1–10–89

1	2	3	4
19.	54068	श्री अजय कुमार गग्गर, ए० सी० ए०, 11, सरत बोस रोड़, कलकत्ता—700020	1—10—89
20.	54180	श्री गोरा मुखर्जी, ए० सी० ए०, 13, ब्रोड स्ट्रीट, फ्लैट नं० 7बी, कलकत्ता—700019	1—10—89
21.	54271	मिस अनुरेखा नाथ, ए० सी० ए०, 58/98 प्रिंस अंवर शाह रोड़, कलकत्ता—700045	1—10—89
22.	54276	श्री गौतम मित्रा, ए० सी० ए० ईस्ट कोडालिया (लिचू बगान) पी० ओ० न्यू बैरकपोर, डिस्ट० नोर्थ 24 परगनास पिन 743276	1—10—89
23.	54516	श्री प्रोसेनजीत दत्ता, ए० सी० ए०, ई—5, कलस्टर—2, पूर्वाचल हाउसिंग एस्टेट साल्ट लेक, कलकत्ता-700091	1—10—89
24.	54590	श्री रवि जैन, ए० सी० ए०, 444, रबिन्द्रा सरानी, कलकत्ता—700005	1—10—89
25.	3567	श्री खौनिस चन्द्र राय, एफ० सी० ए०, 30/1/1 बगुअटी 3 लेन, कलकत्ता—700028	1—10—89

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 2 नवम्बर 1989

सं० 3-सी० सी० ए० (4)/(7)/89-90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	70485	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, 117/326, "ओ" ब्लाक, काकादेव, गीतानगर, कानपुर।	1—10—89

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 09 नवम्बर, 1989

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम (यथासंशोधित) की योजना यु/एस 28 (3) की अधिसूचना

दादरी गैस पावर प्रोजेक्ट चरण—1 (817 मेगावाट)

सं० 01 : एन० ई० सी० जी० एन : 7—यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उत्पादन कम्पनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ने यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 31 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) की सहमति से विद्युत परियोजना की स्थापना, निर्माण, प्रचालन व रख-रखाव से संबंधित योजना को स्वीकृति दी है।

और उक्त अधिनियम की धारा 28 (3) के अधीन कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वीकृत योजना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करे।

इसलिए अब उत्पादन कम्पनी एतद्द्वारा इस योजना को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 28 (3) की शर्तों के अनुसार प्रकाशित करती है।

1. योजना का नाम : दादरी में 817 मेगावाट का गैस पर आधारित कवाइंड साइकल

2. अवस्थिति : यह परियोजना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित दादरी में नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के परियोजना स्थल पर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

3. योजना की मुख्य विशेषताएं : इसमें दो कंबाइंड साइकल पावर प्लांट माड्यूल्स, जिसमें 131 मेगावाट (आइ० एस० ओ०), प्रत्येक क्षमता वाले दो गैस टर्बाइन जेनरेटर हैं और 146.5 मेगावाट क्षमता का एक स्टीम टर्बाइन जेनरेटर की स्थापना शामिल है। इस परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली प्रस्तावित नहीं है तथा उत्तरी क्षेत्र में बिजली 220 के० वी० और 400 के० वी० ग्रिड से ले जाई जाएगी।

4. अनुमानित लागत : योजना की स्वीकृत अनुमानित लागत 783.44 करोड़ रुपए हैं।

5 परियोजना चालू होने का कार्यक्रम : पहली गैस टर्बाइन यूनिट, मुख्य संयंत्र व उपस्कर के लिए ठेका देने की तारीख के 24 माह बाद चालू होगी और उसके बाद गैस टर्बाइन जेनरेटर की शेष यूनिटें दो-दो माह के अंतर पर चालू होंगी। पहला स्टीम टर्बाइन जेनरेटर, मुख्य संयंत्र व उपस्कर के लिए ठेका देने की तारीख के 36 माह बाद चालू होगा व उसके चार माह बाद स्टीम टर्बाइन जेनरेटर की शेष यूनिट चालू होगी। फिर भी सभी यूनिटों के आठवीं योजना अवधि में चालू होने की संभावना है।

6. उत्पादन कंपनी की शक्तियां : विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 यथासंशोधित के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली उपयुक्त स्वीकृत योजना के उद्देश्य से एक उत्पादन कंपनी में निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अधिनियम के अधीन करेगी। यह भी अधिसूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 42 की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्र में योजना के निष्पादन हेतु बिजली के पारेषण व वितरण अथवा ऊपर बताए गए क्षेत्र में उत्पादन कंपनी के कार्यों में उचित समन्वयन के लिए आवश्यक टेलीग्राफ अथवा दूरभाष संबंधी सचार के पारेषण के उद्देश्य से तार बिछाने, वाल ब्रेकेट, स्टेज उपकरण व अन्य उपकरण लगाने के संबंध में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड वे सभी शक्तियां रखेगी जो टेलीग्राफ प्राधिकारी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के भाग—3 के अधीन किसी टेलीग्राफ स्थापना या सरकार द्वारा चलाए गए या इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले या चलाए जाने वाले टेलीग्राफ के संबंध में रखता है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 16 का 12 व 18 तथा 19 इस पर लागू नहीं होगा।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथासंशोधित की धारा 28 (3) में दिये गए वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त योजना की स्वीकृति सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके आम जनता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश से ।

डी० के० अय्यर
कंपनी सचिव
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

छावनी परिषद, शाहजहांपुर छावनी

शाहजहांपुर छावनी, दिनांक 6 अक्तूबर 1989

का० नि० आ० संख्या 36/उपविधियां—जबकि शाहजहांपुर छावनी क्षेत्र में जल-कर लगाने से संबंधित छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के अनुच्छेद 61 के अनुसार, विशेष प्रारूप अधिसूचना छावनी बोर्ड की सूचना दिनांक 21 नवम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित की गई थी जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सूचना प्रकाशित होने से लेकर तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे ।

और जबकि उपर्युक्त सूचना 21 नवम्बर, 1988 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवा दी गई थी ।

और जबकि कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

अतः अब, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 के 2) के अनुच्छेद 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, छावनी बोर्ड एतद्द्वारा शाहजहांपुर छावनी की सीमाओं के क्षेत्र में जल-कर के नाम से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार एक कर लगाता है :—

कर की दर—

1. सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित किए गए भवनों तथा भूमि पर उसके वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

2. जो भवन तथा भूमि सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित नहीं किए गए हैं उन पर भवन तथा भूमि के वार्षिक मूल्य का 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष इसमें शर्त यह होगी कि सरकार की मिलिकियत वाले अथवा सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में पट्टे पर लिए गए, किराए पर लिए गए अथवा हस्तगत कर लिए गए भवन या भूमि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा :—

1. जो उन व्यक्तियों के अधिकार में हो जिन्हें रक्षा सेवा आकलन से भुगतान किया जाता है और जो सरकारी खर्च पर पानी की आपूर्ति के हकदार है।

2. आवासीय स्थान के अलावा किसी अन्य रूप में सैन्य उपयोग में हो :

इस पर आगे यह शर्त भी है कि जो स्थान सार्वजनिक रूप से पूजा के लिए अथवा धर्मार्थ उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं उन पर यह कर नहीं लगाया जाएगा ।

और यह भी शर्त है कि ऐसे प्रत्येक मामले में छावनी अधिनियम, 1924 के अनुच्छेद 220 के उप अनुच्छेद (2) में उल्लिखित आपूर्ति के लिए मात्रा की सीमा से अधिक पचास पैसे प्रति 1000 लीटर की दर से भुगतान किया जाएगा ।

3. जहां बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जाती वहां किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा ।

रमेश चन्द्र शर्मा
छावनी अधिशासी अधिकारी

पंजाब यूनिवर्सिटी

चण्डीगढ़-16001, दिनांक 10 नवम्बर 1989

सं० 6-88/जी० आर०—केन्द्रीय सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ 15-1/89 डैस्क (यू) दिनांकित 4-7-89 के अनुसार निम्नलिखित विनियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है :—

1. कैलेंडर भाग I, 1986 के पृष्ठ 45 पर "द सिंडिकेट" अध्याय 11 (ए) (ii) का विनियम 15 निम्नानुसार होगा :—
(28-9-1988 से लागू)

15. कोई परिवर्तन नहीं (प्रोफैसरों, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन तथा फाइनांस एण्ड डवलपमेंट आफीसर की आसामियों पर नियुक्ति के बारे में) ।

15(अ) ऊपर (15) में वर्णित आसामियों पर नियुक्तियों के अतिरिक्त चयन समिति नियुक्ति के लिए परीक्षार्थी की सिफारिश करते समय—

(i) यूनिवर्सिटी द्वारा सम्पोषित अध्ययन विभागों/संस्थाओं में आसामी के लिए (सिफारिश करते समय), योग्यतानुसार तीन व्यक्तियों की नाम सूची भी तैयार करेगी ताकि यदि नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति पद पर हाजिर नहीं होता या यदि यूनिवर्सिटी द्वारा सम्पोषित विभाग/संस्था में बाद में उसी विशेषीकरण में कोई नई आसामी पैदा हो जाती है, तो इस की पेशकश योग्यता और विशेषीकरण के अनुसार नाम-सूची में दिए गए व्यक्तियों को की जा सकती है ।

(ii) यूनिवर्सिटी कार्यालय में किसी आसामी के लिए सिफारिश करते समय) योग्यतानुसार तीन व्यक्तियों की नाम सूची भी तैयार कर सकती है ताकि यदि नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति पद पर हाजिर नहीं होता अथवा यदि बाद में कार्यालय में कोई नई आसामी पैदा हो जाती है, तो इसकी पेशकश योग्यतानुसार नाम-सूची में दिए गए व्यक्तियों को की जा सकती है ।

15 (अ) (i) और (ii) के अधीन नाम-सूची सिंडिकेट द्वारा मंजूर की तिथि से छः महीने की अवधि के लिए प्रमाण होगी ।

सं० 7-88/जी० आर०—केन्द्रीय सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ० 15-2-89-डैस्क (यू) दिनांकित 8-9-1989 के अनुसार निम्नलिखित विनियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है :—

1. कैलेन्डर, भाग I, 1986 के पृष्ठ 48 पर अध्याय II (ए) (iii) "फाइनांस" का विनियम 6.1 निम्नानुसार होगा :—

6.1. यूनिवर्सिटी की सारी निधि और धन पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम स्टेट बैंक आफ इंडिया में रखा जायेगा बशर्ते कि सिंडिकेट द्वारा निर्धारित और सीनेट द्वारा स्वीकृत की गई राशि के लिए निवेश चालू खाते या स्थायी जमा या किसी अन्य विधि में स्टेट बैंक के अतिरिक्त भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणपत्रों में अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में लगाया जा सकता है ।

6.2. कैलेंडर, भाग I, 1986 के पृष्ठ 143 पर अध्याय 6(ए) "यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें" का विनियम 11.1 निम्नानुसार होगा :—

11.1. यदि इन विनियमों में कहीं इसके विपरीत निर्धारित न किया गया हो, (आकस्मिक छुट्टी से अतिरिक्त) छुट्टी मंजूर करने का अधिकार इस तरह होगा :—

(i) "ए" वर्ग के कर्मचारियों को छः महीने से अधिक छुट्टी के लिए सिंडिकेट ।

(ii) "ए" वर्ग के कर्मचारियों को छः महीने तक छुट्टी देने के लिए—कुलपति।

(iii) प्रशासनिक कार्यालय के "बी" वर्ग के कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रार

(iv) (क) (i) अन्य अध्यापन विभागों में "ए" वर्ग के कर्मचारियों को चार महीने से अधिक छुट्टी देने के लिए—रजिस्ट्रार।

(ii) अन्य अध्यापन विभागों में "बी" वर्ग के कर्मचारियों को चार महीने तक छुट्टी देने के लिए —सम्बन्धित विभागों के अध्यक्ष।

(ख) अध्यापन विभागों में "बी" वर्ग के कर्मचारियों को चार महीने से अधिक छुट्टी देने के लिए—डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन

(ग) अध्यापन विभागों में "बी" वर्ग के कर्मचारियों को चार महीने तक की छुट्टी देने के लिए—सम्बन्धित विभागों के अध्यक्ष

(v) (क) प्रशासनिक कार्यालय के "सी" वर्ग के कर्मचारियों के लिए—रजिस्ट्रार

(ख) अध्यापन और अन्य अध्यापन विभागों में "सी" वर्ग के कर्मचारियों के लिए—सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष।

3. (i) कैलेंडर, भाग, II, 1986 के पृष्ठ 107 पर बैचलर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस परीक्षा के लिए विनियम 8.8 में वृद्धि :

8.8 यदि कोई परीक्षार्थी आंतरिक मूल्यांकन में फेल हो जाता है, तो उसे सम्बन्धित अध्यापक की सन्तुष्टि उपरान्त अपने परिणाम की घोषणा के तीन महीने के अन्दर अन्दर विभाग में अतिरिक्त कार्य कर के अपनी आंतरिक मूल्यांकन में सुधार करने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है, बशर्ते कि वह सुधार केवल 50 प्रतिशत अंकों तक ही हो।

(ii) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 174 पर मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस परीक्षा के लिए 8.6 और 8.7 विनियमों में वृद्धि :—

8.6 परीक्षार्थी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक प्रामाणिक रहेंगे और आगे ले जाए जा सकेंगे, चाहे वह लिखित परीक्षा में बैठे अथवा फेल हो जाए।

8.7 यदि परीक्षार्थी आंतरिक मूल्यांकन में फेल हो जाता है, तो उसे सम्बन्धित अध्यापक की संतुष्टि उपरांत परिणाम की घोषणा के तीन महीने के अन्दर अन्दर विभाग में अतिरिक्त कार्य करके अपने आंतरिक मूल्यांकन के अंकों में सुधार करने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है बशर्ते कि यह सुधार केवल 50 प्रतिशत अंकों तक हो।

4. (i) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 174 पर मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस परीक्षा के लिए विनियम 12 में वृद्धि :—

12. जिस परीक्षार्थी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस परीक्षा पास की हो, वह अपने अंकों की वृद्धि के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स/कोर्सों में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता है। इस उद्देश्य के लिए उसको डिग्री कोर्स पास कर लेने की तिथि से 5 साल की अवधि तक दो अवसर दिये जा सकते हैं। सब से पहले परीक्षार्थी यह बताएगा कि वह किस कोर्सों में अपनी पहली निष्पत्ति में सुधार चाहता है। तदुपरांत वह सम्बन्धित कोर्स/कोर्सों में मुख्य सिमेस्टर परीक्षा में बैठ सकेगा अर्थात पहले कोर्स के लिए नवम्बर/दिसम्बर की परीक्षा में और दूसरे सिमेस्टर के लिए अप्रैल मई की परीक्षा में। यदि वह किसी कोर्स/कोर्सों में अपनी निष्पत्ति में सुधार नहीं कर पाता, तो वह सम्बन्धित सिमेस्टर परीक्षा में आगामी वर्ष में ऐसा करने के योग्य होगा और इसको उसका दूसरा अवसर माना जाएगा। प्रत्येक कोर्स के लिए 25 रुपये लिए जायेंगे, बशर्ते कि सम्बन्धित सिमेस्टर के लिए नियत दाखिला फीस अधिक न हो। परन्तु शोध निबन्ध शोध-प्रबन्ध/आंतरिक मूल्यांकन में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(i) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 174 पर मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस परीक्षा के लिए नीचे दिए विनियम 13 का विलोप :—

13. परीक्षार्थियों के परिणाम केवल तब ही घोषित किए जायेंगे यदि उन्होंने अपनी निष्पत्ति में सुधार किया हो।

5 (i) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 114–115 पर मास्टर आफ आर्ट्स परीक्षा के लिए विनियम 4·1 और 5 निम्नानुसार होंगे :—

(4.1) भाग I/II की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो

(क) और (ख) *** ***

(1) *** *** ***

(2) फैकल्टी आफ आर्टस के विभागों और सम्बद्ध कालेजों में विषय के प्रत्येक पेपर में अलग-अलग तौर पर

(i) दिए गए लैक्चरों,

(ii) ट्यूटोरियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों में कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थित रहा हो।

(ii) *** *** ***

5. सम्बन्धित अध्यक्ष—चेयरमैन प्रिंसिपल को पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, भाग III, 1985 के अध्याय XIII में निहित नियमों अथवा इनकी जगह बाद में बनाए अन्य नियमों के अनुसार प्रत्येक कोर्स में दिए गए लैक्चरों या हुए ट्यूटोरियलों और अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों के अधिकतम 10 प्रतिशत लैक्चर तक कारण बता कर माफ करने का अधिकार होगा।

(ii) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 124–125 पर मास्टर आफ आर्ट्स और साइंस परीक्षा (सिमेस्टर पद्धति) के लिए विनियम 12.1 (ii) और 12.2 निम्नानुसार होंगे :—

12.1 वह परीक्षार्थी प्रत्येक सिमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा जो विनियम 11.1 और 11.2 में निर्धारित शर्तें और योग्यतायें पूरी करता हो और जो चेयरमैन/यूनिवर्सिटी विभाग के अध्यक्ष/कालेज के प्रिंसिपल से निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वह —

(i) *** *** ***

(ii) फैकल्टी आफ आर्टस के विभागों/सम्बद्ध कालेजों में सिमैस्टर के दौरान विषय के प्रत्येक पेपर में अलग अलग तौर पर

(क) दिए गए लैक्चरों;

(ख) किए गए ट्यूटोरियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों में कम से कम 66 प्रतिशत उपस्थित रहा हो।

12.2 सम्बन्धित अध्यक्ष/चेयरमैन/प्रिंसिपल को पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर भाग III, 1985 के अध्याय XIII में निहित नियमों या इनकी जगह बाद में बनाए अन्य नियमों के अनुसार प्रत्येक कोर्स में दिए गए लैक्चरों या हुए ट्यूटोरियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सिनारों के अधिकतम 10 प्रतिशत लैक्चर तक कारण बताकर माफ करने का अधिकार होगा।

(iii) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 172–173 पर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस परीक्षा के लिए विनियम 3.3 (ख) निम्नानुसार होगा :—

3.3 दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस के यूनिवर्सिटी विभाग का नियमित विद्यार्थी दे सकेगा जिसने पहले सिमैस्टर

की परीक्षा पास कर ली हो, अथवा विनियम 8 के अन्तर्गत योग्य हो और लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस विभाग के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

(क) *** ***

(ख) जो यूनिवर्सिटी के विभाग में परीक्षा के पहले सिमैस्टर में विषय के प्रत्येक पेपर में अलग-अलग तौर पर

(1) दिए गए लैक्चरों

(2) हुए ट्यूटारियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों में कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थित रहा हो ।

विभाग के अध्यक्ष/चेयरमैन को पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, भाग III, 1985 के अध्याय XIII में निहित नियमों अथवा इनकी जगह बाद में बनाए अन्य नियमों के अनुसार प्रत्येक कोर्स में दिए गए लेक्चरों या हुए ट्यूटारियलों और अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों के अधिकतम 10 प्रतिशत लैक्चर तक कारण बताकर माफ करने का अधिकार होगा ।

(iv) कैलेंडर, भाग, II, 1984 के पृष्ठ 101-102 पर बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन परीक्षा के लिए विनियम 3.1 (ख) और 3.2 निम्नानसार होगे :—

3.1 परीक्षा उस विद्यार्थी के लिए खुली होगी जिसने विनियम 2 के अनुसार परीक्षा पास की होगी ; और

(i) *** *** ***

(ii) जो मास कम्यूनिकेशन विभाग के चेयरमैन/अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा :

(क) सवाचरण का ;

(ख) यूनिवर्सिटी के विभाग में विषय के प्रत्येक पेपर में अलग-अलग तौर पर

(1) दिए गए लेक्चरो

(2) हुए ट्यटारियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों में कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थित रहने का ।

(ग) *** *** ***

3.2 अध्यक्ष/चेयरमैन को पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, भाग, III 1985 के अध्याय XIII में निहित नियमों अथवा इनकी जगह बाद में बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक कोर्स में दिए गए लेक्चरों या हुए ट्यूटारियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों के अधिकतम 10 प्रतिशत लैक्चर तक कारण बताकर माफ करने का अधिकार होगा ।

(v) कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 175 पर मास्टर आफ मास कम्युनिके शन परीक्षा के लिए विनियम 4 (ii) निम्नानुसार होगा :—

4. परीक्षा में वही नियमित विद्यार्थी बैठ सकेगा जो

(i) *** *** ***

(ii) यूनिवर्सिटी के विभाग में विषय के प्रत्येक पेपर में अलग-अलग तौर पर

(1) दिए गए लेक्चरों

(2) हुए ट्यूटारियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सेमिनारों में कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थित रहा हो ।

अध्यक्ष/चेयरमैन को पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, भाग III, 1985 के अध्याय XIII में निहित नियमों अथवा इनकी जगह बाद में बनाए अन्य नियमों के अनुसार प्रत्येक कोर्स में दिए गए लेक्चरों या हुए ट्यटारियलों और/अथवा प्रैक्टिकल क्लासों या सैमिनारों के अधिकतम 10 प्रतिशत लैक्चर तक कारण बताकर माफ करने का अधिकार होगा ।

6. कैलेंडर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 485 पर एम० एस० सी नर्सिंग परीक्षा के लिए विनियम 2 निम्नानुसार होगा :—

2. जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से एक परीक्षा कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंक लेकर पास की है, वह एम० एस० सी० (नर्सिंग) कोर्स की पहले साल (भाग I) की क्लास में दाखिला होने के योग्य होगा :—

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी की बी० एस० सी० पोस्ट-बेसिक परीक्षा:

अथवा

(ख) पंजाब यूनिवर्सिटी की बी० ए० सी० (नर्सिंग) बेसिक परीक्षा :

अथवा

(ग) अन्य कोई परीक्षा जिसको सिंडिकेट ने (क) या (ख) के समान मान्यता प्रदान की हो ।

बशर्ते कि वह नीचे दिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :—

(i) अच्छे स्वास्थ्य का और वैध नर्सिंग में दो वर्ष के तजरबे का जिसमें विभिन्न नर्सिंग परीक्षाओं अथवा पब्लिक हैल्थ नर्सिंग या नर्सिंग एजूकेशनल इन्स्टिट्यूशन के लिए अध्ययन कोर्स के दौरान में प्राप्त तजरबा शामिल नहीं होगा; और

(ii) रजिस्ट्रीकृत नर्स और मिड-वाइफ होने का जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए पूर्ण रूप से योग्य हों ।

7. कारेसपांडेंस कोर्सिस निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे डिप्लोमा कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स के लिए विनयिम (1987 के दाखिलों से लागू)

1. कारसपांडेंस कोर्सिज निदेशालय, पंजाब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई शरू करेगा । इस कोर्स की अवधि एक शैक्षिक वर्ष होगी ।

2. स्टैटिस्टिक्स विभाग का स्टैटिस्टिक्स (पोस्ट-ग्रेजूएट) में बोर्ड आफ स्टडीज इस डिप्लोमा के बोर्ड आफ स्टडीज के तौर पर काम करेगा । आवश्यकतानुसार कारसपांडेंग कोर्सिज निदेशालय का एक प्रतिनिधि जो स्टैटिस्टिक्स के विषय में पूर्ण तरह से सोपाधिक होगा, उपर्युक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

3. परीक्षा साधारणतया शैक्षिक वर्ष के अन्त में सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी ।

4. नामांकन फार्मों और परीक्षा दाखिला फार्मों के देरी फीस के बिना या सहित प्राप्त करने की अन्तिम तिथि सिंडिकेट द्वारा निश्चित की जाएगी ।

5. परीक्षार्थी द्वारा अदा की जाने वाली दाखिला फीस और नामांकन फीस समय-समय अनुसार नियत की जाएगी ।

6. इस कोर्स के लिए दाखिला उन व्यक्तियों के लिए खुला होगा जिन्होंने नीचे दी गई डिग्रीयों में से कोई एक डिग्री प्राप्त की हो :—

(i) पंजाब यूनिवर्सिटी से कुल अंकों में कम से कम 40 प्रतिशत अंकों से बैचलर की डिग्री या इसके समान मान्यताप्राप्त कोई अन्य योग्यता ।

(ii) पंजाब यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से इसके समान मान्यताप्राप्त कोई अन्य डिग्री ।

7. परीक्षार्थी को डिप्लोमा कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के मास्टर्स डिग्री कोर्स में दाखिला होने की अनुमति दी जा सकती है ।

8. अध्यापन और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

9. कुल मिलाकर सौ सौ अंकों के चार पेपर होंगे । प्रत्येक पेपर में 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निश्चित होंगे और 90 अंक यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए ।

10. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक पेपर में दो रिसपांस-शीट असाइनमेंट्स भेजी जाएंगी जो भेजे जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर अन्दर कारैस्पांडेंस कोसिज निदेशालय को मूल्यांकन के लिए भेजी जाएंगी। विदेश में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 14 दिनों की माफी-अवधि दी जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन केवल रिसपांस-शीट असाइनमेंटस में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा। कारैस्पांडेंस कोसिज निदेशालय का निदेशक परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व आंतरिक मूल्यांकन अंक परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा।

11. परीक्षा पास करने के लिए नीचे दिए न्यूनतम अंक अनिवार्य होंगे :—

(i) यूनिवर्सिटी परीक्षा में प्रत्येक पेपर में अलग अलग तौर पर और आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़कर (जहां आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था हो) और

(ii) कुल मिलाकर 60 प्रतिशत।

12. वह परीक्षार्थी जो सभी पेपरों में कुल अंकों का 40 प्रतिशत प्राप्त करता है परन्तु केवल एक पेपर में कम से कम 25 अंक लेकर फेल हो जाता है, उसको उसी वर्ष के सितम्बर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है और यदि वह फिर भी फेल हो जाता है या उस परीक्षा में उपस्थित नहीं होता, फिर उसे अगली वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। यदि वह इन परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में यूनिवर्सिटी परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक अलग अलग तौर पर या आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था हो (जहां आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था हो) प्राप्त करता है, उसे उस परीक्षा में पास हुआ घोषित किया जाएगा।

13. खण्ड 12 में दिए गए अनुसार परीक्षार्थी को पूरी परीक्षा के लिए दाखिला फीस देनी होगी और वह किसी इनाम अथवा तमगा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। जो परीक्षार्थी दिए गए दो अवसरों में फेल हो जाता है अथवा परीक्षा नहीं देता, उसे पूर्व परीक्षा में फेल हुआ घोषित किया जाएगा। यदि वह चाहे तो सभी विषयों में फिर से परीक्षा दे सकता है।

14. जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में लगातार तीन परीक्षाओं में पास होने में असफल रहता है, उसे इस कोर्स की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. यूनिवर्सिटी विनियमों के अनुसार अनुक्रमांक प्रदान किए जायेंगे।

16. जो परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है, उस के आंतरिक मूल्यांकन अंकों को अगली परीक्षा के लिए आगे लिया जाएगा।

17. कुल अंकों का 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सफल परीक्षार्थियों को फर्स्ट डिविजन में रखा जाएगा, 50 प्रतिशत या इस से अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को सैकण्ड डिवीजन में रखा जाएगा और जो परीक्षार्थी 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उसको थर्ड डिवीजन में रखा जाएगा।

18. प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स प्रदान किया जाएगा जिसमें उस द्वारा प्राप्त डिवीजन को दर्शाया जाएगा।

चंडीगढ़—160014 एस० पी० धवन

दिनांकित 3—11—89 डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

मेरी उपस्थिति में आज 3-11-1989 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य सील द्वारा मुद्रांकित।

एच एस शर्मा
रजिस्ट्रार

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400 005, the 20th September 1989

No. 3 WCA(5)/13/89-90.—With reference to the Institute's Notification No. 4 WCA(1)/4/80-81 dated 31-3-81, 4 SCA (1)/4/82-83 dated 31-3-83, 3WCA (4)/7/86-87 dated 25-2-87, 3 WCA (4)/11/87-88 dated 05-01-1988, 3 WCA (4)/13/88-89 dated 23-3-89, 3 WCA (4)/10/88-89 dated 15-2-1989, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1	2	3	4
1.	06063	Shri H. Ramaswamy, ACA, 'HARIKRUPA' 5, Sandhya Society, Subhanpura Road, Race Course, Baroda-390007.	2-8-89
2.	12852	Shri Gopalakrishna Pranandi, ACA, C/o N. R. Upadrasta, 48, Dr. V. B. Gandhi Marg, Fort, Bombay-400023.	1-9-89
3.	17665	Shri Kranrai Vinodlal Baxi, ACA, P. O. Box No. 2471, Manama, State of Bahrain (A.G.)	4-7-89 4-7-1989
4.	18209	Shri S Balasubramaian, FCA, C-16, Aradhana Apartments, Gotulpet, Nagpur-10.	15-6-89
5.	30440	Shri Ummed Singh Tanwar, FCA, 9/454, Sardar Nagar No. 1, Sion, Koliwada, Bombay-400 022.	25-8-89
6.	33037	Shri Vikram Babulal Shah, FCA 180/B. Lamington Road, Bombay-400 007.	28-8-89
7.	37256	Shri Navinkumar Hariram Karnesh, ACA, 97, Narayandhuru Street, 2nd Floor, Bombay-400 003.	22-8-89
8.	37361	Shri Jitendrakumar Ishwarlal Panwala, ACA, 2nd Floor, 'Ranjan' Mathiafalia Shahpor, Surat.	8-8-89
9.	39357	Shri Manohar Krishnaji Prabhune, ACA, At & Post Pimpri, Tal Purandhar, Distt. Pune.	31-8-89
10.	39995	Shri Harendrakumar Prabhashanker, Pandya, ACA, At P. O. Kadiadra, Ta. Idar, Distt. Sabarkantha -383440	1-8-89

The 5th October 1989

No. 3WCA(5)/14/89-90.—With reference to his Institute's Notification No. 3WCA (4)/10/88-89 dated 15-2-1989, it is

hereby notified in puruance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the Powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Councli of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against his name, the name of the following gentleman :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	35484	Shri Dinesh Navinchandra Mody, ACA, 103, Laxmi-Narayan Apartment, Above Bank of Maharashtra, Near Xavier's School, Ghod-Dod Road, Surat-395001	7-9-89

M. C. NARASIMHAN,
Secy.

Madras-600 034, the 3rd November 1989

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA (5)/11/89-90.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3ECA (4)/6/88-89 dated 24th February 1989, 3CA(4)/1/85-86 dated 31st March 1986, 3SCA (4)/10/83-84 dated 31st March 1984, 3SCA(4)/8/87-88 dated 30th December 1987 and 3WCA(4)/10/88-89 dated 15th February 1989, it is hereby notified in puruance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	11238	Shri Krishan Ramachandran , ACA Flat 3, 1, Rukmani Road, Kalakshetra Colony, Besant Nagar, Madras-600 090.	18-9-89
2.	19945	Shri Johnson David, ACA, Flat No. 8, Almoosa Building, Jaber, Al Mubarak Street, Kuwait.	8-9-89
3.	20036	Shri N R. Narayanan Nambiar, ACA., Chartered Accountant, P. E. Box 380 Sumbawanga Tanzania	29-9-89
4.	20940	Shri M. Gobinathan, ACA, Chartered Accountant, 'Dhanya', Ramaswamy Nagar-2, Nallampalayam Road, Ganapathy, Coimbatore-6.	16-10-89
5.	24961	Shri S. Manoharan, ACA, 110-D, Block-6 Vivekananda Road, Neyveli-607 803.	29-9-89
6.	40086	Shri I. I. Sajan, ACA, 2026, HAE 3rd Stage Behind Sree Rama Temple Thippasahdra, Bangalore-560 008.	21-9-89

M. C. NARASIMHAN
Secy.

2—349GI/89

Calcutta-700 071, the 2nd November 1989

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/8/89-90.—In puruance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the date mentioned against their names, as they have not paid the annual fees for Certificate of Practice for the year 1989-90 till the 30th September, 1989.

Sl. No.	Mem. No.	Name and Address	Date of Cancellation
1	2	3	4
1.	4292	Shri Ramjash Sinha, ACA BJ-99, Sector-II, Salt Lake City, Calcutta-700 091.	1-10-89
2.	10570	Shri Laxmi Narain Rawat, FCA, Sr. Vice President, Jaya Shree Insulators, 15A, Hemanta Basu Sarani, Calcutta-700 001.	1-10-89
3.	15325	Shri Suresh Kumar Gopalaka,ACA, 290A, Jodhpur Park, Calcutta-700 068.	1-10-89
4.	50459	Shri Swapan Kumar Bandyopadhyay ACA, 151/3A, Masjid Bari Street, Calcutta-700 006.	1-10-89
5.	51047	Kumar Snakar Das, FCA 82/1, M. G. Road, Calcutta-7000 09.	1-10-89
6.	51587	Shri Dilip Kumar Mahasaria,ACA, 364E, Kalighat Road, Calcutta-700 026.	1-10-89
7.	52249	Shri Sumit Kumar Dutt, ACA, 69C, Palm Avenue, Calcutta-700 019.	1-10-89
8.	53018	Shri Chandra Prakash Sharma,ACA, P-9, Regent Estate, Calcutta-700 092.	1-10-89
9.	53200	Shri Dipankar Sinha, ACA, 17/1F, Dover Terrace, Calcutta-7000 19.	1-10-89
10.	53347	Shri Umesh Verma, ACA, 40, Dowswell Drive, Scarborough, Ontario, Canada, M1B 1J2.	1-10-89
11.	53487	Shri Ashok Saxena, ACA, C/o. Ashok Mart, 196, Old China Bazar, Street, Calcutta-700 001.	1-10-89
12.	53590	Shri Narendra Behini, ACA C/o Wainscot Nig Ltd., G. P. O. Box-1729, Lagos, Nigeria.	1-10-89
13.	53710	Miss Anuradha Gupta, ACA, 14B, Dover Lane, Calcutta-700 029.	1-10-89
14.	53872	Shri Vivek Mehta, ACA 24A, Circular Garden Reach Road, Calcutta-700 023.	1-10-89

1	2	3	4
15.	53948	Shri Sajjan Kumar Agrawala, ACA, 21, Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta-700 020.	1-10-89
16.	53952	Shri Prosenjit Kr. De, ACA, BH-175, Salt Lake City, Calcutta-700 091	1-10-89
17.	53955	Shri Jasbinder Singh, ACA 10E, Dover Terrace, Calcutta-700 019.	1-10-89
18.	54018	Shri Madhu Sudan Tapuriah, ACA, 24/25, Maulana Abul Kalam Azad Road, 4th Floor, Howrah-711101.	1-10-89
19.	54068	Shri Ajay Kumar Gaggar, ACA, 11, Sarat Bose, Road, Calcutta-700 020.	1-10-89
20.	54180	Shri Gora Mukherjee, ACA, 13, Broad Street, Flat No. 7B, Calcutta-7000 19.	1-10-89
21.	54271	Miss Anurekha Nath, ACA, 58/98, Prince Anwar Shah Road, Calcutta-700 045.	1-10-89
22.	54276	Shri Goutam Mitra, ACA, East Kokalia (Lichu Bagan), P.O. New Barrack'ore, Dt. North 24-Pgs., Pin-743276.	1-10-89
23.	54516	Shri Prosenjit Duta, ACA, E-5, Cluster-2, Purbachal Housing Estate, Salt Lake, Calcutta-700 091.	1-10-89
24.	54590	Shri Ravi Jain, ACA, 444, Rabindra Sarani, Calcutta-700005.	1-10-89
25.	3567	Shri Khounish Coh. Roy. FCA. 30/1/1, Bagui ati 3rd Lane, Calcutta-7000 28.	1-10-89

M. C. NARASIMHAN,
Secretary.

Kanpur-208 001, the 2nd November 1989

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3 CCA (4)/7/89-90.—In puruance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, the name of the following Member with effect from the date mentioned against his name :—

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Date
1	2	3	4
1.	70485	Mr. Ramesh Chandra Gupta. 117,326. 'O' Block. Kakadeo, Gita nagar. Kanpur.	1-10-88

M. C. NARASIMHAN.
Secy.

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

New Delhi-110 003, the 9th November 1989

NOTIFICATION OF THE SCHEME U/S 28(3) OF THE ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1948 (AS AMENDED)

Dadri Gas Power Project, Stage-I (817 MW)

No. 01 : SEC : GN : 7.—WHEREAS National Thermal Power Corporation Limited, New Delhi, a Generating Company set up by the Government of India under the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended (hereinafter referred to as 'The Act') has sanctioned a scheme relating to the establishment, construction, operation and maintenance of power project with the concurrence of the Central Electricity Authority (CEA) under Section 31 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended.

AND WHEREAS under Section 28(3) of the said Act, the Generating Company is required to publish the sanctioned scheme in the Official Gazette.

NOW, therefore, the Generating Company hereby publishes the scheme in terms of Section 28(3) of the aforesaid Act.

1. *Name of the scheme* : 817 MW GAS BASED COMBINED CYCLE AT DADRI.

2. *Location* : The project is proposed to be located at Dadri in district Ghaziabad of Uttar Pradesh within the site for the National Capital Thermal Power Project.

3. *Salient Features of the scheme* : The scope of work includes installation of two combined cycle power plant modules each comprising two gas turbine generator sets of the capacity of 131 MW (ISO) and one steam turbine generator of 146.5 MW capacity. There is no transmission system proposed with this project and the power is to be evacuated through the 220 KV and 400 KV Grid in the Northern Region.

4. *Estimated cost* : The sanctioned estimated cost of the scheme is Rs. 783.44 crores.

5. *Commissioning schedule* : The first gas turbine unit would be commissioned twenty-four months from the date of award of contract for main plant and equipment and the remaining gas turbine generator units would follow thereafter at intervals of two months each. The first steam turbine generator would be commissioned thirty-six months from the date of award of contract for main plant and equipment and the remaining steam turbine generator unit would follow four months thereafter. All the units are, however, expected to be commissioned within the Eighth Plan period.

6. *Powers of Generating Company* : In pursuance of the Electricity (Supply) Act 1948 as amended, National Thermal Power Corporation Limited, New Delhi shall exercise all the powers vested in a Generating Company under the said Act for the purposes of aforesaid sanctioned scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Act, the National Thermal Power Corporation Limited, which is undertaking and executing the sanctioned scheme, shall have all the powers for placing of wires, wall-brackets, stays, apparatus and other appliances for transmission and distribution of electricity or for transmission of telegraphic and telephonic communication necessary for the proper coordination of the works of the Generating Company in the area indicated above, which the Telegraphic Authority possesses under Part III of the Indian Telegraph Act, 1885 in respect of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained and the provisions of Section 12 of 16 and 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall not apply to the same.

In terms of the Statutory provisions contained in Section 28(3) of the Electricity (Supply) Act 1948, as amended, the sanction of the aforesaid scheme is hereby notified to the general public by publication in the Official Gazette.

By the order of National Thermal Power Corpn. Ltd.

D. K. BEBBER
Company Secy.

CANTONMENT BOARD, SHAHJAHANPUR CANTONMENT

Shahjahanpur, the 6th October 1989

No. SRO 36/Bye-laws.—Whereas certain draft of notification relating to imposition of water tax within the limits of Shahjahanpur Cantonment was published as required by section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) with the Cantonment Board's Notice dated 21st November, 1988 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the notice;

And whereas, the said notification was made available to the public on the 21st November, 1988;

And whereas, no objections or suggestions were received

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Shahjahanpur, with the previous sanction of the Central Government hereby impose a tax to be known as water tax within the limits of Shahjahanpur Cantonment at the rates specified below :—

RATE OF TAX

(1) 10% per annum on the annual value of building and land connected with the source of public water-supply.

(2) 4% per annum on the annual value of building and land without any connection with the source of public water-supply.

Provided that no tax shall be levied on any building and land owned, leased, hired or appropriated by the Government of India in the Ministry of Defence :—

(i) in the occupation of persons paid from the Defence Services Estimates who are entitled to supply of water at the expenses of Government;

(ii) under the use for Military purposes, other than residential accommodation :

Provided further that the tax shall not be levied on building used exclusively for the purpose of public worship or for charitable purposes of a public nature;

Provided also that in each case all water supplied in excess of the quantity to which such supply is limited under sub-section (2) of section 220 of the Cantonments Act, 1924, shall paid at the rate of fifty paise per 1000 litre.

(3) In cases, where water is not given by the Board tax shall not be levied.

R. C. SHARMA
Cantonment Executive Officer
Shahjahanpur

PANJAB UNIVERSITY

Chandigarh-160-014, the 10th November 1989

No. 6-88/G.R.—The Central Government [Ministry of Human Resource Development (Department of Education)] have accorded approval vide their letter No. F. 15-1/89-Desk(U), dated 4-7-1989 to the following Regulation :—

1. Regulation 15 of Chapter II(A) (ii) 'The Syndicate' at page 45 of the Calendar, Volume I, 1986 shall read as under :

(*Effective from* 28-9-1988)

15. No change (*in relation to appointment for the posts of Professors, Registrar, Controler of Examinations and the Finance and Development Officer.*)

15(A) *Except for appointments to the posts mentioned at* (15) *above, the Selection Committee, while recommending a candidate for appointment—*

(i) *to a post in the teaching departments/institutions maintained by the University, may also prepare a panel, in order of merit, of up to three persons so that if the person appointed does not join or there is a subsequent vacancy in the Department/Institution maintained by the University, in the same specialization, the same may be offered to the persons on the panel according to merit and specialization.*

(ii) *to a post in the University offices may also prepare a panel, in order of merit, of up to three persons so that if the person appointed does not join or there is a subsequent vacancy in the office, the same may be offered to the persons on the panel according to merit.*

The panel under 15(A) (i) *and* (ii) *above shal be valid for a period of six months from the date which it is approved by the Syndicate.*

No. 7-88/G.R.—The Central Government, Ministry of Human Resource Development (Department of Education) have accorded approval vide their letter No. F.15-2/89-Desk (U), dated 8-9-1989 to the following Regulations :—

1. Regulation 6.1 of Chapter II(A) (iii) 'Finance' at page 48 of the Calendar, Volume I, 1986, shall read as under :—

6.1 All funds and moneys belonging to the University shall be kept in the name of the Panjab University in the State Bank of India, provided that investment in a current account or fixed deposit *or in any other mode* for an amount to be determined by the Syndicate may be made *in the securities approved under the Indian Trusts Act,* 1882, *or a Nationalised Bank* other than the State Bank of India, with the approval of the Senate.

2. Regulation 11.1 of Chapter VI(A) 'Conditions of Service of University Employees' at page 143 of the Calendar, Volume I, 1986, shall read as under :—

11.1 Unless otherwise laid down in these Regulations, the authorities competent to grant leave (other than casual) shall be—

(i) Syndicate—for employees of Class A for leave of more than six months.

(ii) Vice-Chancellor—for employees of Class A for leave up to six months.

(iii) Registrar—for employees of Class B of the Administrative Office.

(iv) (a) (i) Registrar—for employees of Class B in the non-teaching Departments for leave of more than four months.

(ii) Head of the Department(s) concerned for employees of Class B in the non-teaching departments for leave up to four months.

(b) Dean of University Instruction—for employees of Class B in teaching departments for leave of more than four months.

(c) Head of the Department concerned for employees of Class B in the teaching departments for leave up to four months.

(v) (a) Registrar—for employees of Class C of the Administrative Office.

(b) Head of Department concerned—for employees of Class C of the teaching and non-teaching departments.

3. (i) Addition of Regulation 8.8 for Bachelor of Library and Information Science examination at page 107 of the Calendar, Volume II, 1988, shall read as under :—

8.8 If a candidate fails in the internal assessment, he may be given one opportunity to improve his internal assessment marks by doing extra work in the Department within three months of the declaration of his result, to the satisfaction

of the teacher concerned, provided that the improvement will be only up to 50% marks.

(ii) Addition of Regulations 8.6 and 8.7 for Master of Library and Information Science examination at page 174 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

8.6 The marks obtained by the candidate in internal assessment shall remain valid and may be carried forward even if he does not appear or fails in the written examination.

8.7 If a candidate fails in the internal assessment, he may be given one opportunity to improve his internal assessment marks by doing extra work in the Department within three months of the declaration of his result, to the satisfaction of the teacher concerned, provided that the improvement will be only up to 50% marks.

4 (i) Addition of Regulation 12 for Master of Library and Information Science examination at page 174 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

12. A candidate who has passed Master of Library and Information Science examination from the Panjab University may re-appear as a private candidate in a course/courses he wishes to, with a view to improving his performance. For this purpose he may be given two chances, within a period of 5 years from the date of his passing the degree course. The candidate in the first instance shall be required to intimate all the courses in which he would like to improve his performance. He will then appear in the respective course/s at the main semester examination, i.e. for the course offered for first semester in the November/December examination and for the second semester in April/May examination. If he does not improve his performance in any course/s, he shall be eligible to do so in the following year in the semester examination concerned which would be treated as a second chance. The candidate shall be charged Rs. 25 for each course, subject to the maximum admission fee prescribed for the semester concerned. Improvement will not however be allowed in dissertation/thesis/internal assessment.

(ii) Deletion of following Regulation, 13 for Master of Library and Informations Science examination at page 174 of the Calendar, Volume II, 1984 :

13. The results of the candidates shall be declared only if he improves his performance.

5. (i) Regulations 4.1 and 5 for Master of Arts examination at pages 114-115 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

4.1 The examination in Part I/II shall be open to a student—

(a) and (b) xxx xxx

(i) xxx xxx xxx

(ii) of having attended not less than 66 per cent of—

(1) the lectures delivered;

(2) tutorials and/or practical classes or seminars held,

separately in each paper of the subject in the Departments and the affiliated Colleges of the Faculty of Arts.

(iii) xxx xxx xxx

5. The Head/Chairman/Principal concerned will have the authority, to condone to the maximum of 10% of the lectures delivered, tutorials and/or practical classes or seminars held, separately in each course, for reasons to be recorded, in accordance with the rules contained in Chapter XIII of the P. U. Calendar, Volume III, 1985 or any subsequent rules framed in substitution thereof.

(ii) Regulations 12.1 (ii) and 12.2 for Master of Arts and Science examination (Semester System) at pages 124-125 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

12.1 The examination for each semester shall be open to a candidate who fulfils the requirements of qualifications as laid down in Regulations 11.1 and 11.2 and produces the following certificates from the Chairman/ Head of the University Deptt./Principal of the College as the case may be that he—

(i) xxx xxx xxx

(ii) has attended at least 66 per cent of—

(a) the lectures delivered;

(b) tutorials and/or practical classes or seminars held;

separately in each paper of the subject during the semester in the Departments/affiliated Colleges of the Faculty of Arts.

12.2. The Head/Chairman/Principal concerned will have the authority to condone to the maximum of 10% of the lectures delivered, tutorials and/or practical classes or seminars held separately in each course, for reasons to be recorded, in accordance with the rules contained in Chapter XIII of the P.U. Calendar, Volume III, 1985 or any subsequent rules framed in substitution thereof.

(iii) Regulation 3.3(b) for Master of Library and Information Science examination at pages 172-173 of the Calendar, Volume II, 1984 shall read as under :—

3.3 The examination for second semester shall be open to a regular student of the University Department of Library and Information Science who has passed the first semester examination or is eligible under Regulation 8 and is cerified by the Head of the Department of Library and Information Science.

(a) xxx xxx

(b) to have attended at least 66 per cent of—

(1) the lectures delivered

(2) tutorials and/or practical classes or seminars held;

separately in each paper of the subject during the semester preceding the examination in the Department of the University.

The Head/Chairman of the Department will have the authority to condone to the maximum of 10% of the lectures delivered, tutorials and/or practical classes or seminars held, separately in each course, for reasons to be recorded in accordance with the rules contained in Chapter XIII of the P.U. Calendar, Volume III, 1985 or any subsequent rules framed in substitution thereof.

(iv) Regulation 3.1(b) and 3.2 for Bachelor of Mass Communication examination at pages 101-102 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

3.1 The examination shall be open to a student who has passed the examination as laid down in Regulation 2; and

(i) xxx xxx xxx

(ii) produces the following certificates signed by the Chairman/Head of the Department of Mass Communication :

(a) of good character;

(b) of having attended no less than 66 per cent of—

(1) the lectures delivered

(2) tutorials and/or pretical classes or seminars held;

separately in each paper of the subject in the Department of the University.

(c) xxx xxx xxx

3.2 The Head/Chairman will have the authority to condone to the maximum of 10% of the lectures delivered, tutorials and/or practical classes or seminars held, separately in each course, for reasons to be recorded, in accordance with the rules contained in Chapter XIII of the P.U. Calendar,

Volume III, 1985 or any subsequent rules framed in substitution thereof.

(v) Regultion 4(ii) for Master of Mass Communication examination at page 175 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

4. The examination shall be open to a regular student who—

(i) xxx xxx xxx

(ii) has attended not less than 66 per cent of—

(1) the lectures delivered;

(2) tutorials and/or practical classes or seminars held;

separately in each paper of the subject in the Department of the University.

The Head/Chairman will have the authority to condone to the maximum of 10% of the lectures delivered, tutorials and/or practical classes or seminars held, seprately in each course for reasons to be recorded, in accordance with the rules contained in Chapter XIII of the P.U. Calendar, Volume III, 1985 or any subsequent rules framed in substitution thereof.

6. Regulation 2 for M.Sc. Nursing examination at page 485 of the Calendar, Volume II, 1988, shall read as under .—

2. A person who has passed one of the following examinations with at least 50 per cent marks in the aggregate shall be eligible to join first year (Part I) class of M.Sc. (Nursing) course :—

(a) B.Sc. (Nursing) Post-Basic examination of the Panjab University;

OR

(b) B.Sc. (Nursing) Basic examination of the Panjab University;

OR

(c) Any other degree examination recognised by the Syndicate as equivalent to (a) or (b).

Provided she produces certificates—

(i) of possessing good health and minimum of two years' experience in Bed-side Nursing excluding the experience gained during the course of studies for various Nursing examinations or Public Health Nursing or Nursing Educational Institutions; and

(ii) of being registered nurse and mid-wife fully qualified for nursing of men, women and children.

7. Regulations for Diploma Course in Statistics run by the Directorate of Correspondence Courses (effective from the admissions of 1987).

1. The Directorate of Correspondence Courses, Punjab University, shall undertake instruction for the Diploma in Statistics Course. The during of the Course shall be one academic year.

2. The Board of Studies in Statistics (Post Graduate) of the Department of Statistics will function as the Board of Studies for this Diploma. One representative of the Directorate of Correspondence Courses, duly qualified in the subject of statistics, will be co-opted as a member of the said Board whenever required for the purpose.

3. The Examination shall ordinarily be held at the end of the academic year on such dates as may be fixed by the Syndicate.

4. The last date for receipt of enrolment forms and examination admission forms, with or without late fee, shall be fixed by the Syndicate.

5. The Examination fee and enrolment fee, to be paid by the candidate. shall be as prescribed from time to time.

6. The admission of the Course shall be open to any person who has obtained any one of the following two :—

(i) The Bachelor's degree of the Panjab University with not less than 40% marks in the aggregate or any other qualification recognized as equivalent thereto.

(ii) A Master degree in any subject of Panjab University or of any other Univertity recognized as equivalent thereto.

7. A Candidate may be allowed to join a Master's degree Course of the Panjab University simultaneously with the Diploma Course in Statistics.

8. The medium of instructions and examination shall be English.

9. In all, there will be four papers each of 100 marks. In each paper 10 marks shall be assigned for internal assessment and 90 marks for the University Examination.

10. Each student will be sent two response sheet assignments per paper which should be submitted for evaluation to the Directorate of Correspondence Courses within one month of the despatch (grace period of 14 days will be allowed to the students residing abroad). The internal assessment shall be based on the score on the response sheet assignments alone. The Director of the Directorate of Correspondence Courses shall forward internal assessment marks to the Controller of Examinations before the commencement of the Examination.

11. The minimum number of marks required to pass the examination shall be (i) 35 per cent in each paper in the University examination separately as well as jointly with internal assessment (where there is a provision for internal assessment) and (ii) 40 per cent in the aggregate.

12. A candiate who obtains 40 per cent of the aggregate number of marks in all the papers but fails in one paper only, obtaining not less than 25 per cent of the marks in that paper, may be admitted to the supplementary examination in that paper to be held in the month of September of the same year, or if he fails to pass or present himself for that examination, then at the next annual examination. If he obtains 35% marks in that paper in the University Examination separately as well as jointly with internal assessment (where there is provision for internal assessment) in either of these examinations, he shall be declared to have passed the examination.

13. Candidate, as in clause 12 shall be required to ay admission fee for the whole examination and shall not be eligible for a prize or a medal. A candidate who fails to pass or to appear in the two chances allowed, shall be declared to have failed in the whole examination and must re-appear in all the subjects, if he desires to appear in it again.

14 A candidate who fails to qualify in this examination in three consecutive examinations shall not be allowed to continue his studies in the Course.

15. Grace marks be given in accordance with University Regulations.

16. The internal assessment awards of a candidate who fails in the examination shall be carried forward to the next examination.

17. Successful candidates securing 60 per cent or more of the aggregate number of marks shall be placed in the first division: those who secure 50 per cent or more but less than 60 per cent shall be placed in the second division and who secure less than 50 per cent shall be placed in the third division.

18. Each successful candidate shall be granted a Diploma in Statistics showing the division in which he has passed.

Chandigarh-160014
Dated : 3-11-1989

S. P. Dhawan
Deputy Registrar (General)

Sealed in my presence with the common seal of the Panjab University, this day, 3-11-1989.

H. L. Sharma
Registrar

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER, OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989